बिहार सरकार
मद्यनिषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग
(निबंधन)
आदेश

का0आ0सं0–AL/17/2022-SEC_8-REPD-REG -5683/–श्री दुर्गेश कुमार श्रीवास्तव, तत्कालीन उच्चवर्गीय लिपिक, जिला निबंधन कार्यालय, सारण, छपरा सम्प्रति सेवानिवृत द्वारा जिला निबंधन कार्यालय, छपरा के पदस्थापन अवधि में निबंधित 37 दस्तावेजों के निबंधन के क्रम में किए गए स्थल जाँच में लापरवाही, उदासीनता एवं अनियमितता बरते जाने के कारण कुल रूपये 73,69,435/– का सरकरी राजस्व की क्षति का मामला प्रकाश में आया, जो बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के नियम–3(1) के तहत सरकारी कर्मी के लिए निर्धारित आचरण के प्रतिकूल पाया गया।

2. उक्त के संदर्भ में जिला अवर निबंधक, छपरा द्वारा आरोपी कर्मी श्री श्रीवास्तव के विरूद्ध आरोप पत्र गठित कर उपलब्ध कराया गया, जिसके आलोक में श्री श्रीवास्तव के विरूद्ध विभागीय स्तर पर आरोप पत्र गठित किया गया तथा विभागीय पत्रांक–657 दिनांक–01.02.2023 द्वारा उनके विरूद्ध गठित आरोप–पत्र में लगाए गए आरोप के आलोक में स्पष्टीकरण की मांग की गयी, परन्तु आरोपी के द्वारा अपना स्पष्टीकरण विभाग में प्रस्तुत नहीं किया गया।
3. आरोपी कर्मी श्री श्रीवास्तव का स्पष्टीकरण अप्राप्त राहने की स्थिति में अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा आरोप प्रपत्र में विनिर्दिष्ट आरोप की जाँच हेतु विभागीय कार्यालय आदेश सं0–1285, दिनांक–02.03.2023 द्वारा बिहार पेंशन नियमावली, 1950 के नियम–43(बी) के संगत प्रावधानों के तहत उनके विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही संचालित की गयी जिसमें सहायक निबंधन महानिरीक्षक, पटना प्रमण्डल, पटना को संचालन पदाधिकारी तथा जिला अवर निबंधक, पटना को प्रस्तुतिकरण पदाधिकारी नियुक्त करते हुए जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु निदेशित किया गया ।
4. उक्त के अनुपालन में संचालन पदाधिकारी–सह–सहायक निबंधन महानिरीक्षक, पटना प्रमण्डल, पटना द्वारा जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया, जिसमें निष्कर्षित किया गया कि अनुशासनिक कार्यवाही संचालन के क्रम में विभिन्न प्रयासों के बावजूद आरोपी कर्मी अपना पक्ष रखने हेतु उपस्थित नहीं हुए। उक्त 37 दस्तावेजों का स्थल जाँच के उपरान्त भारतीय मुद्रांक अधिनियम, 1899 की धारा–47A(3) के तहत् सुनवाई के पश्चात् कमी मुद्रांक जमा करने का आदेश पारित किया गया, जिसमें से तीन पक्षकारों के द्वारा कमी मुद्रांक एवं अन्य शुल्क जमा किया गया है। 24 मामले में निलामवाद हेतु प्रेषित किया गया है तथा शेष अन्य मामले माननीय न्यायालय के समक्ष लंबित है। अभिलेखीय साक्ष्यों के जाँचोपरान्त ऐसा प्रतीत होता है कि 37 दस्तावेजों के निबंधन में किए गए स्थल जाँच में बरती गयी अनियमितता के कारण कुल कारण 73,69,435/– रू0 की सरकारी राजस्व की क्षति हुई है। राजस्व क्षति संबंधी आरोप की पुष्टि इस तथ्य से होती है कि सहायक निबंधन महानिरीक्षक, सारण प्रमण्डल, छपरा द्वारा उक्त 37 दस्तावेजों में सुनवाई के पश्चात् कमी मुद्रांक शुल्क जमा करने का आदेश पारित किया गया है एवं विभिन्न पक्षकारों द्वारा कमी मुद्रांक शुल्क एवं अन्य शुल्क जमा भी किए गए हैं। शेष अन्य मामलों में पक्षकारों के द्वारा माननीय न्यायालय का शरण लिया गया है साथ ही आरोपी लिपिक का जाँच के दौरान उपस्थित नहीं होना, यह दर्शाता है कि उन्हें इस मामले में कुछ नहीं कहना है। अतएव आरोपी कर्मी के विरूद्ध लगे आरोप उपरोक्त तथ्यों के आधार पर प्रमाणित पाया गया
5. आरोपी कर्मी के विरूद्ध प्रमाणित आरोप के आलोक में विभागीय पत्रांक–1819 दिनांक–03.05.2024, पत्रांक–2770 दिनांक–11.07.2024, पत्रांक–4558 दिनांक–05.11.2024, पत्रांक–5011 दिनांक–03.12.2024, पत्रांक–1603 दिनांक–27.03.2025 एवं पत्रांक–2902 दिनांक–02.06.2025 द्वारा जिला अवर निबंधक, रोहतास के माध्यम से एवं पत्रांक–3062 दिनांक–05.06.2025 पत्रांक–4345 दिनांक–31.07.2025, पत्रांक–5503 दिनांक–19.09.2025 एवं पत्रांक–3621 दिनांक–12.06.2026 तथा प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से आरोपी कर्मी श्री दुर्गेश कुमार श्रीवास्तव

11/09/26

(b)

तत्कालीन उच्च वर्गीय लिपिक, जिला निबंधन कार्यालय, सारण, छपरा सम्प्रति सेवानिवृत से द्वितीय बचाव बयान की मांग की गयी, विभाग द्वारा श्री दुर्गेश कुमार श्रीवास्तव को प्रेषित उक्त पत्रों को डाक विभाग द्वारा यह लिखते हुए वापस कर दिया गया कि उक्त पते पर प्राप्तकर्त्ता अब नहीं रहते हैं, जबकि आरोपी कर्मी श्री श्रीवास्तव के सेवा पुस्तिका में स्थायी पता के रूप में मोहल्ला–पावर बाग, (सरकारी अस्पताल के पूरब) पोस्ट–सासाराम, जिला–रोहतास अंकित है।

6. आरोपी कर्मी श्री श्रीवास्तव का द्वितीय बचाव बयान अप्राप्त रहने की स्थिति में अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा संचालन पदाधिकारी द्वारा उपलब्ध कराये गये जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा की गयी। अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा समीक्षोपरान्त आरोपी कर्मी के विरूद्ध आरोप को प्रमाणित पाया गया। अतएव अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयोपरांत श्री दुर्गेश कुमार श्रीवास्तव, तत्कालीन उच्चवर्गीय लिपिक, जिला निबंधन कार्यालय, सारण, छपरा सम्प्रति सेवानिवृत को कुल रूपये 73,69,435/– की सरकारी राजस्व की क्षति के लिये बिहार पेंशन नियमावली 1950 के नियम, 43(बी) के संगत प्रावधानों के तहत् उनके पेंशन से 50% (पचास प्रतिशत) की कटौती 10 (दस) वर्षों के लिए किये जाने का दण्ड अधिरोपित एवं संसूचित किया जाता है।
7. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/–
(संजय कुमार)
सरकार के संयुक्त सचिव,
बिहार, पटना

ज्ञापांक– AL/17/2022-SEC_8-REPD-REG - 5683/– पटना, दिनांक– 11.09.26

प्रतिलिपि–सचिव के प्रधान आप्त सचिव/निबंधन महानिरीक्षक के प्रधान आप्त सचिव/महालेखाकार (ले0 एवं ह0) का कार्यालय, वीरचन्द पटेल पथ, बिहार, पटना/समाहर्त्ता–सह–जिला निबंधक, सारण, छपरा/उप निबंधन महानिरीक्षक, बिहार, पटना/सहायक निबंधन महानिरीक्षक, सारण प्रमण्डल, छपरा/सहायक निबंधन महानिरीक्षक, पटना प्रमण्डल, पटना/जिला कोषागार पदाधिकारी, रोहतास/जिला कोषागार पदाधिकारी, सारण, छपरा/जिला अवर निबंधक, रोहतास/जिला अवर निबंधक, सारण, छपरा/प्रशाखा पदाधिकरी, प्रशाखा–06/आई0टी मैनेजर, मद्यनिषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु/श्री दुर्गेश कुमार श्रीवास्तव, मोहल्ला–पावर बाग, (सरकारी अस्पताल के पूरब) पोस्ट–सासाराम, जिला–रोहतास, 821115 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

11/9/2026
सरकार के संयुक्त सचिव
बिहार, पटना

11/09/26